

**राज्यन सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्याप2764**  
**10 अगस्त2016 को उत्तर के लिए**

वैश्विक इस्पात उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में इस्पात उत्पादों को धड़ाधड़ भेजा जाना  
2764. श्री अजय संचेती:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है;  
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उनका कार्य-निष्पादन क्या रहा है;  
(ग) क्या ये संयंत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हैं;  
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;  
(ङ) क्या विश्व इस्पात उत्पादक भारतीय बाजार में इस्पात उत्पादों को धड़ाधड़ भेज रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस्पात आयात में बढ़ोतरी हो रही है; और  
(च) यदि हां, तो इस्पात आयात को प्रतिबंधित करने तथा घरेलू उत्पादकों को वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पातराज्यमंत्री**

**(श्री विष्णुदेव साय)**

(क): वर्ष 2015-16 के दौरान देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्रूड इस्पात का उत्पादन कर रहे इस्पात संयंत्रों की संख्यात (अनंतिम) नीचे तालिका में दी गई है:-

भारत : क्रूड इस्पात	
क्षेत्र	2015-16* में इकाईयों की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र	9
निजी क्षेत्र	1180
कुल: सार्वजनिक+ निजी क्षेत्र	1189
स्रोत: जेपीसी *अनंतिम	

(ख): गत पाँच वर्षों के दौरान देश में क्रूड इस्पात का उत्पादन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और निजी क्षेत्र के प्रमुख संयंत्रों द्वारा क्रूड इस्पात का किये गये उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	भारत : क्रूड इस्पात (मिलियन टन में)		
	(क) सार्वजनिक क्षेत्र	(ख) निजी क्षेत्र	कुल (क+ख)
2011-12	16.48	57.81	74.29
2012-13	16.48	61.94	78.42
2013-14	16.78	64.91	81.69
2014-15	17.21	71.77	88.98
2015-16*	17.92	71.86	89.78
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम			

(ग) और (घ): भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता विभिन्न घटकों यथा लाभप्रदता , इनपुट और आउटपुट अनुपात समेत तकनीकी कार्य निष्पारदन , श्रम उत्पादकता, पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के अनुपालन में कार्य निष्पादन इत्यादि द्वारा निर्धारित की जाती है। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की होती है। इस्पात उत्पादन की कंपनियाँ इस प्रकार की सूचनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील समझती है और इसलिए भारतीय इस्पात उद्योग की विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में सही-सही स्थिति के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(ड.): जी हाँ। विश्व स्तरीय इस्पात उद्योग अधिक मंदी से गुजर रहा है। मांग में कमी और विश्व स्तर पर क्षमता की अत्यधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें काफी कम हो गई हैं। इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश मूल्य निर्धारण की एक प्रीडेटरी नीति को अपना रहे हैं और भारत जैसे बाजारों में अपनी पकड़ बैठाने के लिए अपनी उत्पादन लागत से काफी कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं। इससे इस्पात के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(च): सरकार ने इस्पात के आयातों को नियंत्रित करने और घरेलू उत्पादकों को स्थिर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

- केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ताशुभ इस्पात का उत्पादन या आयात हो , दिसम्बर 2015 में इस्पात और इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता आ नियंत्रण आदेश , 2012 संशोधित किया गया है।
- इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग, स्टेनलेस स्टीमल (लांग और नान-अलॉय लांग उत्पादन पर आयात शुल्क बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से) किया गया तथा नान अलॉय और अन्या अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत (7.5 प्रतिशत से) किया गया है। इसे अगस्त 2015 में पुनः संशोधित किया गया है। वर्तमान में आयात शुल्की फ्लैट स्टील पर 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत और सेमी फिनिशड स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत लागू है।
- स्टेनलेस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के लिए 309 प्रति टन), कोरिया (\$ 180 प्रति टन) और मलेशिया (\$ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।
- 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों पर प्लाच, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।
- सरकार ने फरवरी , 2016 में 173 इस्पात उत्पादों पर 6 माह के लिए न्यूनतम आयात शुल्क (एमआईपी) अधिसूचित किया ताकि घरेलू उत्पादकों को उनके नुकसान जैसा कि उत्पादकों के मार्जिन में गिरावट से स्पष्ट होता है , के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिल सके और दिनांक 04.08.2016 को 66 इस्पात उत्पादों पर एमआईपी लागू की गई।

\*\*\*